**रजिस्टर्ड/सील्ड**

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-96/2022/10/22-2-2022-21(59)/2021

लखनऊ: दिनांक: 05 जुलाई, 2022

आदेश

विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-5341/2021 पुनीत यादव विक्रम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2021 के अनुपालन में तथा उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, एटा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुनीत विजय विक्रम (बन्दी संख्या-109/2018) पुत्र श्री विद्याराम जो-महौब्बतपुर लभौआ, थाना-करहल, जनपद-मैनपुरी का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-480/2005 भा0द0सं0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 18.07.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, 16 वर्ष 01 माह 15 दिन की अपरिहार सजा 18 वर्ष 06 माह 19 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं संतोषजनक जेल आचरण एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किए जाने तथा दयायाचिका समिति की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-96/2022/10(1)/22-2-2022 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
3- पुलिस अधीक्षक मैनपुरी।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, एटा।
5- नोडल अधिकारी/जिला कारागार, गाजियाबाद।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in